पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1211
दिनांक- 19.07.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर

- **क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चेन स्नेचर / लुटेरे / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 9200 /-रुपये नगद बरामद।**
- **घटना में प्रयुक्त स्कूटी UP32BD8161 बारंग काला बरामद।**

01-घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर सूचना बावत आवेदक की माताजी श्रीमती राजकुमारी उम्र करीब 59 वर्ष को प्रतिवादी द्वारा पीछे से धक्का मारकर गिराकर उनके गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर अपने दोस्त के साथ भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 304(2)BNS थाना गोमतीनगर लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

02- कार्यवाही का विवरणः-

उक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुये उच्चाधिकारी गण द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया जिसमें क्राइम टीम पूर्वी जोन को भी लगाया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर प्राप्त सीसीटीवी फूटेज व टेक्निकल एवं मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 18.07.2026 साहरा ओवर ब्रिज गोमतीनगर से शातिर चेन स्नेचर/लूटेरे अभियुक्तों – आकाश कुमार उर्फ राजन शुक्ला पुत्र नौमी लाल उर्फ संतोष कुमार निवासी पिपरीमहार थाना रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 19 वर्ष हाल पता किराये का मकान 1/29 विपुल खंड-1 गोमती नगर लखनऊ व अमित कुमार अवस्थी पुत्र ज्ञान देव अवस्थी निवासी ग्राम कुवाया थाना कुवाया जिला शाहजहांपुर उम्र 26 वर्ष हाल पता पन्तनगर शिव मंदिर खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 9200/- रुपये नगद **एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी UP32BD8161 बारंग काला बरामद की गयी।** जिसमें आकाश उर्फ राजन शुक्ला से 4630/- रुपये व अमित अवस्थी उपरोक्त से 4570 रुपये बरामद किये गये जो पीडिता के चेन को मणप्पुरम फाईनेंस बैंक विकास नगर लखनऊ में कुल 23700 में गिरवी रखकर अपने वांछित सह-अभियुक्त के खाते में लिया गया था, उक्त पैसे को तीनो में बांट लिया गया था बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अन्तर्गत धारा 304(2)/317(2)/61(2)बीएनएस में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी UP32BD8161 बारंग काला को सीज किया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण:-

I. मु0अ0सं0 मु0अ0स0 306/2026 अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस व बढौतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस थाना गोमती नगर लखनऊ थाना गोमतीनगर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

I. आकाश उर्फ राजन शुक्ला पुत्र नौमी लाल उर्फ संतोष कुमार निवासी पिपरीमहार थाना रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 19 वर्ष, हाल पता किराये का मकान 1/29 विपुल खंड-1 गोमती नगर लखनऊ

II. अमित अवस्थी पुत्र ज्ञान देव अवस्थी निवासी ग्राम कुवाया थाना कुवाया जिला शाहजहांपुर उम्र 26 वर्ष, हाल पता पन्त नगर शिव मंदिर खुर्रम नगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ

05-बरामदगी:-

- कुल रुपये 9200 रुपये 4630/- व 4570 बरामद।
- घटना में प्रयुक्त स्कूटी UP32BD8161 बारंग काला ।

06- गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

राज्य/जनपद के अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

थाना गोमतीनगर पुलिस टीम	सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
1. उ0नि0 त्रिविक्रम सिंह	1. उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया
2. उ0नि0 दिलीप कुमार	2. हे0 का0 संदीप पाण्डेय
3. कां0 राकेश कुमार सरोज	3. का0 शिवानंद खरवार
4. कां0 सुरेन्द्र कुमार	4. का0 तरनजीत सिंह
5. कां0 आकाश यादव	5. का0 अजय यादव
6. का0 शुभम कुमार	6. का0 प्रदीप कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1214

दिनांक-19.07.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **थाना इन्दिरानगर लखनऊ में निवास कर रहे जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे अभियुक्त अनिकेत कौशल उर्फ अमन उम्र करीब 22 वर्ष जो मा0न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ के वाद सं0- 19(11)/2026 सरकार बनाम अनिकेत कौशल उर्फ अमन अन्तर्गत धारा-10 अधि0 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना इन्दिरानगर, लखनऊ के प्राविधानो के तहत आपराधिक गतिविधियो में संलिप्तता पाये जाने के कारण दिनाँक 19.06.2026 को श्रीमती अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा अभि० अनिकेत कौशल उर्फ अमन को जनपद की सीमाओं से छः माह के लिये निष्कासित किया गया था।

अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 18.07.2026 को मायावती कालोनी पानी की टंकी के पास तकरोही के पास से गिरफ्तार किया गया तथा थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया तथा उसके विरूद्ध मु0अ0सं0 0186/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय:-

जिला बदर आरोपी द्वारा थाना इन्दिरानगर लखनऊ में निवास करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अनिकेत कौशल उर्फ अमन पुत्र स्व0कमलेश कुमार निवासी-बी 192, मायावती कालोनी तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 278/2023 धारा 147/148/323/341/506 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 25/2025 धारा 115(2)/324(4)/333/352 बीएनएस थाना इटौंजा लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(2) बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 185/25 धारा 131/115(2)/351(2) बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 177/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/351(2)/324(1)/61(2)/3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार कन्नौजिया, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री मुकेश विश्वकर्मा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1216
दिनांक- 19.07.2026

जोन-उत्तरी / थाना- मडियांव

- **थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा बंद मकान में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 01 ACER लैपटॉप, 01 एप्पल आईपैड, 01 मोबाइल फोन, 02 जोड़ी पायल, 02 कड़े, 01 अंगूठी, 02 मंगलसूत्र, 03 हाथ घड़ियां तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा संख्या UP32ZN3086 बरामद।**
- **डिजिटल साक्ष्यों एवं बरामदगी के आधार पर चोरी के दो अभियोगों का सफल खुलासा, अभियुक्तों के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2026 को आगंतुका वादिनी मुकदमा श्रीमती मीना सिंह पत्नी विक्रम सिंह निवासिनी- हरिओम नगर गायत्री नगर रामलीला मैदान थाना मडियांव जनपद लखनऊ बावत अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी के घर का ताला तोड़कर घर से ज्वैलरी, 01 लैपटाप, 01 टेबलेट, तीन एटीएम अकाउन्ट पासबुक, सिलेन्डर की पासबुक, आधार कार्ड, एक साउंड व एक लाख रूपये नगद चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनाकं 08.05.2026 को थाना स्थानीय जरिये आनलाइन ई-एफआईआर वादी मुकदमा श्री तनवीर अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी म0न0-610/115 बारी एनक्लेव केशवनगर थाना मड़ियाव लखनऊ बावत वादी की जेब से Samsung Galaxy S22 Plus 5G अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

कमिश्नरेट लखनऊ के थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मड़ियांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 344/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस से संबंधित मुख्य अभियुक्त एवं उसके साथियों की गिरफ्तारी तथा चोरी गए माल की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 19.07.2026 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे में प्रयुक्त संदिग्ध ऑटो रिक्शा संख्या UP32ZN3086 यादव चौराहे के पास खड़ा है, जिसमें कुछ संदिग्ध युवक मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर ऑटो रिक्शा में बैठे पांचों अभियुक्तगणों- 1. हर्ष पाण्डेय उर्फ प्रिन्स उर्फ दिव्यान्शु पाण्डेय 2. कृष्णा गुप्ता पुत्र श्री दीपक गुप्ता उम्र 18 वर्ष 3. सुमित श्रीवास्तव उर्फ नाटी पुत्र दिलीप श्रीवास्तव उम्र 22 वर्ष 4. अभिषेक तिवारी उर्फ विशाल तिवारी 5. राजा गुप्ता उम्र 19 वर्ष को यादव चौराहे के पास चौकी क्षेत्र घैला से दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 02.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ एवं तलाशी के दौरान घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा से 01 ACER लैपटॉप, 01 एप्पल आईपैड, 01 मोबाइल फोन, 02 जोड़ी पायल, 02 कड़े, 01 अंगूठी, 02 मंगलसूत्र, 03 हाथ घड़ियां तथा अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ।

पूछताछ एवं डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के दौरान अभियुक्त हर्ष पाण्डेय के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन में उपलब्ध इंस्टाग्राम चैट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से एक अन्य चोरी के मोबाइल फोन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके आधार पर Samsung Galaxy S22 मोबाइल बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना मड़ियांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल खुलासा हुआ। साथ ही थाना सैरपुर क्षेत्र में पंजीकृत एक अन्य मोबाइल चोरी के मुकदमे से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिनके संबंध में संबंधित थाना को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु अवगत करा दिया गया है।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अज्ञात चोर अवसर पाकर बंद मकानों का ताला तोड़कर नकदी, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएँ चोरी कर लेते हैं तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मौका देखकर जेब से मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो जाते हैं।

03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण / व्यवसाय:-

1. हर्ष पाण्डेय उर्फ प्रिन्स उर्फ दिव्यान्शु पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय उम्र 18 वर्ष नि0 निकट बाल निकेतन इण्टर कालेज हरिओमनगर थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ (व्यवसाय- छात्र बी.ए. 2nd वर्ष/ पार्ट टाइम यूपीपीएसएल स्मार्टमीटर लगाने का कार्य)
2. कृष्णा गुप्ता पुत्र श्री दीपक गुप्ता उम्र 18 वर्ष निवासी नारायणपुरी निकट शिला गैस गोदाम थाना कृष्णानगर लखनऊ मूल पता नानपारा थाना नानपारा जनपद बहराइच (व्यवसाय- छात्र 10th)
3. सुमित श्रीवास्तव उर्फ नाटी पुत्र दिलीप श्रीवास्तव उम्र 22 वर्ष निवासी लाल साहब स्कूल के पास रामलीला मैदान थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ मूल पता कन्जा थाना सिधौली जनपद सीतापुर (व्यवसाय- चाय बेचना)
4. अभिषेक तिवारी उर्फ विशाल तिवारी पुत्र श्री अमरीश कुमार तिवारी उम्र 22 वर्ष नि0 हाल पता लाल साहब स्कूल के पास रामलीला मैदान थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ मूल पता निघुआमऊ थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर (व्यवसाय- फ्लिपकार्ट डिलीवरी ब्वॉय)
5. राजा गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता उम्र 19 वर्ष नि0 हाल पता सुग्गामऊ थाना इंदिरानगर, लखनऊ, मूलपता जगदीश नगर थाना नानपारा जनपद बहराइच (व्यवसाय- रैपिडो चालक)

04-अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 344/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ
2. मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

05-बरामदगी का विवरण :-

- 01 लैपटॉप ACER कंपनी
- 01 आईपैड एप्पल कंपनी
- 01 मोबाइल फोन (सैमसंग कंपनी मॉडल एस 22)
- 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 कड़े सफेद धातु, 01 अंगूठी सफेद धातु, 02 मंगलसूत्र पीली धातु
- 03 हाथ घड़ियां (URREM कंपनी, कंपनी ZENLEX X-6156L, कंपनी OULIJIA)
- घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा UP32ZN3086

06- आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :-

1. मु0अ0सं0 495/2024 धारा 305/317(2)/331(3) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 हर्ष पाण्डेय उपरोक्त।**
2. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 हर्ष पाण्डेय उपरोक्त**
3. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 हर्ष पाण्डेय उपरोक्त**
4. मु0अ0सं0 688/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 हर्ष पाण्डेय उपरोक्त।**
5. मु0अ0सं0 690/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 हर्ष पाण्डेय उपरोक्त।**
6. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379/411 बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ बनाम अभि0 कृष्णा गुप्ता उपरोक्त।
7. मु0अ0सं0 690/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 कृष्णा गुप्ता उपरोक्त।**
8. मु0अ0सं0 495/2024 धारा 305/317(2)/331(3) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ बनाम **अभि0 सुमित श्रीवास्तव उपरोक्त।**

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 दीपक कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
3. उ0नि0 अखिलेश सिंह
4. उ0नि0 जोशी रघुवंशी
5. का0 सचिन दुबे
6. का0 रोहित कुमार
7. कां0 मनोज कुमार
8. का0 राम सिंह राणा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1215
दिनांक-19.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

- **थाना नगराम पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय में नियत तिथियों पर काफी लम्बे समय से उपस्थित नही हो रहे वारण्टी अभियुक्तगण 01.सत्यनाम रावत पुत्र हरीराम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम दुल्हापुर हुसैनाबाद थाना नगराम जनपद लखनऊ **संबन्धित वाद सं0-49269/24 मु0अ0सं0-52/24 धारा- 457/380/411 आईपीसी थाना नगराम लखनऊ**, 02.दिनेश कुमार गोस्वामी पुर भोला गोस्वामी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम दुल्हापुर हुसैनाबाद थाना नगराम जनपद लखनऊ संबन्धित वाद सं0-49269/24 मु0अ0सं0-52/24 धारा- 457/380/411 आईपीसी थाना नगराम लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा NBW वारण्ट निर्गत किया गया था। निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष नगराम के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयी थी।

गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

02-गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का विवरण-

1. सत्यनाम रावत पुत्र हरीराम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम दुल्हापुर हुसैनाबाद थाना नगराम जनपद लखनऊ।
2. दिनेश कुमार गोस्वामी पुर भोला गोस्वामी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम दुल्हापुर हुसैनाबाद थाना नगराम लखनऊ।

04-संबंधित वाद सं0-

1. वाद सं0- 49269/24 मु0अ0सं0- 52/24 धारा- 457/380/411 आईपीसी थाना नगराम लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 राकेश कुमार मिश्रा
- उ0नि0 राम हरीश यादव
- का0 सुजीत कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1213
दिनांक-19.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी की तहरीरी सूचना पर-1. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 64 (1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नाका हिण्डोला लखनऊ , बावत अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

02.कार्यवाही विवरणः-

उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में थाना नाका पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त हेमन्त कुमार पुत्र अजात निवासी मोहल्ला अहिया रायपुर कुरियाना जिला रायबरेली उम्र 18 वर्ष को चारबाग बस अड्डे के बाहर टिन सेड की बॉउंड्री से गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- हेमन्त कुमार पुत्र अजात निवासी मोहल्ला अहिया रायपुर कुरियाना जिला रायबरेली उम्र 18 वर्ष

04- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 64 (1) वी0एन0 एस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. उ0नि0 आशीष पटेल थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
3. उ0नि0 विश्वजीत सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
4. का0 सुधीर कुमार थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1212
दिनांक-19.07.2026

जोन- पश्चिमी / थाना-तालकटोरा

- **थाना तालकटोरा पुलिस टीम की सफलता।**
- **थाना तालकटोरा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कूल वैन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को थाना तालकटोरा पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत **मु0अ0सं0 157/2026, धारा 65(2) बीएनएस व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट** में वांछित **अभियुक्त गिरीश मिश्रा को** मुखबिर खास की सूचना पर उसके निवास स्थान के बाहर से समय लगभग 11:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी एवं उसके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को मौके पर दी गई। घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी ईको स्कूल वैन संख्या UP32 MF 8086 (सिल्वर रंग) को भी पुलिस कब्जे में लिया गया। अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के कथनों, चिकित्सीय एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित ढंग से प्रचलित है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-गिरीश मिश्रा पुत्र स्व०रमेश चन्द्र मिश्रा निवासी-मकान संख्या C-4380, सपना कॉलोनी, राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ उम्र- लगभग 50 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 157/2026, धारा 65(2) बीएनएस एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-बरामदगी विवरण –

- 01 अभियुक्त गिरीश मिश्रा।
- 01 अदद मारुति सुजुकी ईको स्कूल वैन (सिल्वर रंग)।
- वाहन संख्या UP32 MF 8086 (घटना में प्रयुक्त)।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 शिव सिंह, थाना तालकटोरा कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 मुकेश मिश्रा, थाना तालकटोरा कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 नवीन प्रताप सिंह थाना तालकटोरा कमिश्नरेट लखनऊ।
- रि0का0 सौरभ कुमार कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1217
दिनांक-19.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा वादिनी मुकदमा नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16/07/2026 को वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर सूचित किया गया कि मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को पड़ोसी शुभम अपने साथ बहला फुसलाकर लेकर चला गया है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0459/2026 धारा- 87/137(2) बीएनएस बनाम शुभम न्यू हैदरगंज, संगम सिटी हबीबपुर रोड पक्का बाग ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0 व अपहृता की सुरागरसी पतारसी के क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.07.2026 को मुखबिरी सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभि0 शुभम गौतम पुत्र राजू लाल गौतम निवासी 123/217 संगम सिटी न्यू हैदरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष सोना भट्टा के पास थाना क्षेत्र ठाकुरगंज से समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया है।

अपहृता/पीड़िता को बरामद कर लिया गया। मुकदमा उपरोक्त बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा-183 बीएनएसएस के आधार पर धारा- 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1. मु0अ0सं0- 459/2026 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शुभम गौतम पुत्र राजू लाल गौतम निवासी 123/217 संगम सिटी न्यू हैदरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 आशीष सिंह चौकी प्रभारी रिंगरोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. का0 पंकज मिश्रा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।